महत्वपूर्ण

पत्र सं0-8/2025/बी-1-640/दस-2025

प्रेषक,

मिनिस्ती एस.,
सचिव,
वित्त विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 10 जुलाई, 2025

विषयः SNA-SPARSH के क्रियान्वयन के फलस्वरूप देयकों के प्रस्तुतीकरण हेतु प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 13 जुलाई, 2023 द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही SNA-SPARSH प्रणाली के माध्यम से की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के फरवरी माह से साइबर ट्रेज़री लखनऊ के माध्यम से देयकों को पारित करते हुये SNA-SPARSH के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है तथा प्रथम चरण में चिन्हित विभागों द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य मदों के भुगतान हेतु देयक प्रस्तुतीकरण के संबंध में कठिनाईयों के विषय में अवगत कराया गया है। इसी क्रम में एतद् द्वारा SNA-SPARSH के सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु देयकों के प्रस्तुतीकरण एवं आहरण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैः-

1. संबंधित विभाग अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अनुमन्य लाभार्थी/वेन्डर को परियोजनाओं की guidelines के अनुसार अनुमन्यता/ देयता होने पर ही भुगतान किया जा रहा है।
2. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी मदों/घटकों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वीकृति में किया जाये तथा वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि मुख्य कोषाधिकारी साइबर ट्रेज़री, लखनऊ को की जायेगी।
3. SNA-SPARSH पोर्टल पर समस्त इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सियों द्वारा तैयार किये गये बिलों को मिशन/ योजना मुख्यालय के आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से साइबर ट्रेज़री में प्रस्तुत किया जा रहा है, अतः प्रदेश के समस्त जनपदों / इकाई से मूलरूप में वाउचर्स प्राप्त किये जाने में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

उक्त के क्रम में प्रत्येक जनपद इकाई अपने स्तर पर बिल बनाकर प्रस्तुत करते समय संबंधित धनराशि एवं लाभार्थी का विवरण अंकित करते हुये भुगतान स्वीकृति आदेश SNA module पर अपलोड करेंगे तथा मूल वाउचर्स अपने कार्यालय में रक्षित करेंगे जिसे ऑडिट के समय ऑडिट दल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://shasanadesh.up.gov.in

4. केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु SNA विभिन्न इम्प्लीमेन्टिंग एजेन्सी से प्राप्त बिलों तथा उनके साथ संलग्न भुगतान स्वीकृति आदेश के आधार पर समेकित धनराशि जिसका आहरण किया जा रहा है हेतु स्वीकृति आदेश अपने स्तर से निर्गत करेंगे, जो कि SNA-SPARSH पर अपलोड होगा तथा अग्रिम आदेशों तक उसकी हार्ड कॉपी हस्ताक्षर सहित साइबर ट्रेज़री में बिल पारण हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

5. वर्तमान में देयक प्रस्तुत करने हेतु देयक प्रपत्र संख्या-103 के e-format का approval महालेखाकार कार्यालय से प्राप्त किया जाना है। अतः उक्त सहमति प्राप्त होने तक डिजिटल हस्ताक्षर से जनरेट किये गये पी0डी0एफ0 के साथ प्रपत्र-103 की हार्ड कॉपी डी0डी0ओ0 के हस्ताक्षर एवं SNA/ प्राधिकृत अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर सहित साइबर ट्रेज़री में बिल पारण हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

6. SNA-SPARSH के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में हो रहे भुगतान हेतु लाभार्थी/वेन्डर के एकाउन्ट डिटेल एवं उन्हें भुगतान की पात्रता के संबंध में कोई परीक्षण साइबर ट्रेज़री के स्तर पर नहीं किया जायेगा तथा यह पूर्णरूप से संबंधित विभाग के परियोजना अधिकारी/डी0डी0ओ0 का दायित्व है कि वह नियमानुसार देयकों का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करें। बिल में धनराशियों, लाभार्थी/ वेण्डर के विवरण शुद्ध रूप से भरे जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व बिल प्रस्तुतकर्ता का होगा। किसी भी प्रकार के त्रुटिपूर्ण विवरण के कारण हुये अनियमित /अशुद्ध भुगतान के प्रति साइबर ट्रेजरी की किसी भी प्रकार की जवाबदेही नहीं होगी।

SNA-SPARSH के क्रियान्वयन हेतु कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें, ताकि भुगतान की कार्यवाही त्वरित गति से की जा सके।

भवदीया,

मिनिस्ती एस.
सचिव, वित्त

पत्र सं0-8/2025/बी-1-640/दस-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
3. समस्त विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, वित्त विभाग, उ0प्र0, शासन।
6. समस्त अनुभाग, उ0प्र0, शासन।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।